

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या - 13/2016 (आवन्तन निरस्तीकरण)

GCMS No. 2016/00123

सरकार जयें तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा

—प्रार्थी.

बनाम

1. रोडूलाल आत्मज कालूलाल जाति मेहतर मृतक जयें का0मु0-

1/1 पप्पूलाल आत्मज रोडूलाल

1/2 राजूलाल आत्मज रोडूलाल

जाति मेहतर निवासीगण मण्डा तहसील रामगंजमण्डी

—अप्रार्थी.



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ
भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के
अतर्गत आवंटन निरस्त करने बाबत

उपस्थित-

1. परोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:- 26/08/2025

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार आवंटी रोडूलाल आत्मज कालूलाल, रामीबाई पत्नि रोडूलाल को ग्राम मण्डा के आराजी खसरा नम्बर 452 की रकबा 0.36 हे0, भूमि दिनांक 16.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । रिपोर्ट पटवारी अनुसार आवंटित भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटी अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से अप्रार्थीया को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया गया ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया जो पुत्र को बाद तामिल प्राप्त हुआ तथा आवंटी रोडूलाल फौत होना बताया । आवंटी के कायम मुकामान की रिपोर्ट ली गई । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर परोकार सरकार की बहस सुनी गई ।
3. परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि आवंटी अप्रार्थीगण को ग्राम मण्डा तह0 रामगंजमण्डी की आराजी खसरा नम्बर 452 की रकबा 0.36 हे0, भूमि दिनांक 16.12.2010 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जाने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी ने आवंटन निरस्तीकरण का प्रकरण प्रस्तुत किया है । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह स्पष्ट हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं किया जा रहा है । अतः अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने से प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

1

4. हमने पेशेकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अप्रार्थीया को ग्राम मण्डा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नम्बर 452 की रकवा 0.36 हे०, भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं करने से तथा आवंटन शर्तों का उल्लंघन करने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण वावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से यह जाहिर हो रहा है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार योग्य पाते है ।
5. परिणामस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश दिनांक 16.12.2010 निरस्त किया जाकर आवंटित भूमि मण्डा के खसरा नम्बर 452 रकवा 0.36 हे०, भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार रामगंजमण्डी उक्त भूमि का राजहित में तहवील सरकार लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 24.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।



(पीयूष रेमारिया)
जिला कलेक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा